प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान

* इस योजना के अंतर्गत, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए एवं 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था है।

आवेदन की प्रक्रिया

* सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (https://pmmsy.dof.gov.in) पर जाएं
* होम पेज पे दीये गए योजना के लिंक पे क्लिक करे
* क्लक करने पर आवेदन पत्र खुल जायेगा
* साबधानी पुर्बक फहर्म भरे
* सम्बन्धित दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करे
* उसके बाद सबमिट बटन दबाकर फहर्म को सबमिट करे

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

विभागाध्यक्ष मात्स्यिकी अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग
मात्स्यिकी महाविद्यालय, अर्राबाड़ी, किशनगंज - 855107 (बिहार)
(बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना)
फोन नंबर - 8900744790, 6206685720
ई-मेल -tenzipem2@gmail.com, ravikul1992@gmail.com

आलेख
तेंजी पेम भुटिया, रवि शंकर कुमार
प्रकाशन
अधिष्ठाता
मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज
(बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना)

डिजाइनिंग - तुषार कुमार
फोटोग्राफर, मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि या उसे दोगुना करने साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। दरअसल सरकार इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक बड़े पैमानें तक बढ़ाया जा सके। भारत में यह योजना मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना है।

प्रमुख बिंद

* PMMSY मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत् विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020 & 21 से वित्त वर्ष 2024 & 25 तक (5 वर्ष की अवधि के दौरान) सभी राज्योंध्संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है।
* इस योजना पर अनुमानत राशि 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
* इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की संरचना और घटक

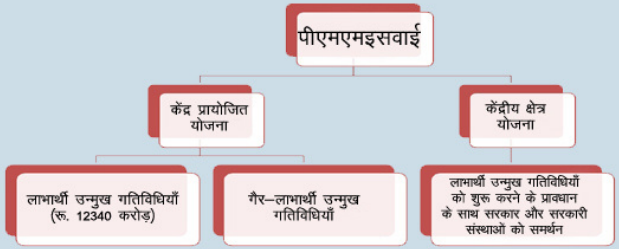

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य

* वर्ष 2024- 25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना
* वर्ष 2024- 25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1,00,000 करोड़ रुपए तक करना
* मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना
* पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20- 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना
* मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी

* मछुआरों और मत्स्य पालक
* मत्स्य श्रमिक और मछली विक्रेता
* मत्स्य विकास निगम
* स्वयं सहायता समूह (SHG) / संयुक्त देयता समूह (JLGs)
* मत्स्य पालन क्षेत्र
* मत्स्य सहकारी समितियाँ
* मत्स्य पालन संघ
* उद्यमी और निजी फर्म
* मत्स्य किसान उत्पादक संगठन एवं कंपनियाँ (FFPOs / Cs)
* एससी / एसटी / महिला / अलग-अलग विकलांग व्यक्ति

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु पात्रता

* आवेदक को भारत का स्थाई नागरिक होना आवश्यक है।
* इस योजना के अंतर्गत देश के सभी मत्स्य पालक और किसान आवेदन कर सकते है।
* प्राक्रतिक अपदाओ से पीड़ित लोगो को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

* आधार कार्ड
* मछली पालन कार्ड
* निवास प्रमाण पत्र
* मोबाइल नंबर
* बैंक खाते का विवरण
* आवेदक का जाति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रभाव

* 2024- 25 तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करने में सहायता
* मत्स्य उत्पादन में लगभग 9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि
* मत्स्य पालन क्षेत्र के GVA (सकल मूल्य सम्बर्धन) के कृषि GVA में योगदान को बढ़ाकर वर्ष 2024- 25 तक लगभग 9% करने में मदद
* मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2024- 25 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपये करनें में मदद
* लीय कृषि में उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर करने मे सहयोग
* फसलों के नुकसान को रिपोर्ट किए गए 20- 25 प्रतिशत से घटाकर लगभग 10 प्रतिशत कर देना
* घरेलू मछली की खपत लगभग 5 से 6 किलोग्राम से बढ़ाकर लगभग 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने में मदद